भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 7/17/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5,संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 24.09.2025

जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना
मामला संख्या एडी(एसएसआर) -10/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) मिश्रणों" के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

1. **फा. सं. 7/17/2025 - डीजीटीआर**: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क और (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के संबंध में, एसआरएफ लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) मिश्रणों (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. इस अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही वापस न ले लिया जाए, ऐसे लगाए जाने की तिथि से पाँच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत

प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. <u>पिछली जांच की पृष्ठभूमि</u>

3. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच 30 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम संख्या फा. संख्या 06/34/2020-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2021 के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 दिसंबर 2021 के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित उत्पाद के समान है, जो इस प्रकार है:

> *"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) मिश्रण" है। 407 और 410 के अलावा सभी मिश्रणों को बाहर रखा गया है।*
>
> *8. एचएफसी मिश्रण रंगहीन, गंधहीन गैसें हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन होते हैं और इनका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में निम्न से मध्यम तापमान वाले रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। इनके दो प्रमुख अंतिम उपयोग आवासीय एयर कंडीशनिंग और हीट पंप, वाणिज्यिक एयर कंडीशनिंग, वाणिज्यिक प्रशीतन, परिवहन प्रशीतन और प्रक्रिया प्रशीतन, जैसे खाद्य प्रसंस्करण और रासायनिक निर्माण में होते हैं। जाँच के उद्देश्य से एचएफसी मिश्रणों को एक ही वस्तु माना जाता है।*

5. विचाराधीन उत्पाद को मूल जाँच में सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत उपशीर्ष 3824 78 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। मार्च 2022 से प्रशुल्क वर्गीकरण में परिवर्तन करके उपशीर्ष 3827 63 00 और 3827 64 00 कर दिया गया है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान आवेदन एक निर्णायक समीक्षा जाँच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित के अनुसार ही बना हुआ है।

7. आवेदक ने पैक्ड और अनपैक्ड को पीसीएन पद्धति के रूप में मानने का प्रस्ताव दिया है। आयात केवल अनपैक्ड रूप में हुआ है।

ग. **समान वस्तु**

8. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई अधिक अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन्न योग्य हैं और उपभोक्ताओं द्वारा इनका उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है। वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क के निरंतर अधिरोपण हेतु निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए है। समान वस्तु के मुद्दे की जाँच प्राधिकारी द्वारा मूल जाँच में भी पहले ही की जा चुकी है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. **घरेलू उद्योग और आधार**

9. आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देश के निर्यातकों या भारत में आयातकों से संबद्ध है।

10. आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक भी हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है। प्राधिकारी ने उत्पादकों को आवेदन प्राप्ति की सूचना भेजी थी। किसी भी उत्पादक ने इस सूचना का उत्तर नहीं दिया है।

11. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है। इसके मद्देनजर, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली

के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। यह आवेदन के नियम 5(3) के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करता है।

ड. **संबद्ध देश**

12. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

च. जाँच की अवधि

13. जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) तक है। क्षति जांच की अवधि अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024 और जाँच की अवधि है।

छ. कथित पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने चीन के आरोहण नयाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को उत्पाद की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने यूरोपीय संघ से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे निवल कारखानागत स्तर पर समायोजित किया गया है। आवेदक ने भारत में भुगतान की गई और देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की पूर्ति भी की है।

16. जांच की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ को जोड़कर विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

17. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजी प्रणाली के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों में दर्शाए गई सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पोर्ट व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई व्यय और ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि अधिक भी है। चूँकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, इसलिए प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से सूचना और साक्ष्य प्राप्त होने के बाद पाटन की संभावना का भी निर्धारण करेंगे।

ज. <u>क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध</u>

19. आवेदक ने उपायों के समाप्त होने की स्थिति में क्षति की संभावना के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उपायों के लागू होने और आर-125 के निर्यात में वृद्धि के कारण पाटित आयातों में कमी आई है, लेकिन वे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से नीचे बने हुए हैं। आवेदक ने क्षति की संभावना के अपने दावे के समर्थन में अधिशेष क्षमता, तृतीय देश के उपायों और तृतीय देश की कीमत विश्लेषण की जानकारी भी प्रदान की है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी, प्रथम दृष्टया, संबद्ध देश से पाटन जारी रहने और पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

झ. <u>निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत</u>

20. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना

को प्रमाणित करता है, स्वयं को संतुष्ट करते हुए, तथा नियमावली के नियम 23 (आईबी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जाँच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

21. वर्तमान जाँच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति dir15-dgtr@ gov.in और consultant-dgtr@nic.in. को भेजी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और आंकड़ा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।

23. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में उन आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा-निर्धारित रूप में और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जाँच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (dgtr-india@gov.in) नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जानकारी और जाँच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियमावली की व्याख्या के संबंध में सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाना चाहिए जिस तिथि को उसे प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को परिचालित किया गया था। यदि कोई सूचना निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।

31. ये अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय रूपांतर में वे सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया गया हो, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया हो, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ यह उचित कारण बताना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित किया जाना चाहिए या जहाँ (अनुक्रमण संभव न हो), वहाँ रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए, और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

34. अगोपनीय सारांश में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस बात का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

35. हितबद्ध पक्षकार, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार, बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण कथन के, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अस्वीकार कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि सभी अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल से भेजें।

ण. <u>असहयोग</u>

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर अथवा इस जांच संबंधी अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा नहीं देता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वह उपयुक्त मानें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी